भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2901
12, मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले

2901. श्री हेमंत पाटिल:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
डॉ. अरविंद कुमार शर्मा:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग): क्या कानूनों के शिथिल कार्यान्वयन के कारण मिलावट का व्यवसाय एक लाभकारी उद्यम बन गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): सरकार द्वारा राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में मिलावट संबंधी कानूनों के सख्ती से अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड): क्या सरकार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को जुर्माना और उम्रकैद का कड़ा दंड शामिल करने के लिए कहा गया है; और

(च): यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के समाधान हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का कार्य मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंतर्गत आता है, इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें नियमित निगरानी, मॉनीटरी और निरीक्षण कार्यकलाप करती हैं।

राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं तथा विश्लेषण हेतु इन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है। यदि नमूने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाए जाते तो एफएसएस अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान विश्लेषित, प्रावधानों की गैर-अनुपालना (मिलावट सहित) वाले नमूनों तथा संबंधित खाद्य व्यापार संचालक के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I,II और III पर है।

(घ): एफएसएसएआई केन्द्रीय सलाहकार समिति की आवधिक बैठकों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के साथ अधिनियम के प्रवर्तन की सतत निगरानी करता है जिनमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त भाग लेते हैं तथा वीडियो कांफ्रैंसिंग और एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे के दौरान परस्पर बातचीत के माध्यम से भी निगरानी की जाती है।

(ड.) और (च): इस समय, मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय, वितरण या आयात, के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत, कम से कम सात वर्ष की जेल परंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम दस लाख रूपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए एफएसएसएआई से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मंत्रालय ने संशोधन प्रस्ताव पर 'सार्वजनिक सूचना' के माध्यम से लोगों की टिप्पणियां आमंत्रित की थीं।

अनुलग्नक -I

वर्ष 2017-18 में विश्लेषित नमूने, गैर अनुपालन वाले नमूने और की गई दंडात्मक कार्रवाई का राज्य-वार विवरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण नमूनों की संख्या	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या	शुरू हुए मामलों की संख्या		दोष सिद्धि / जुर्मानों की संख्या		
			आपराधिक	सिविल	दोष सिद्धि	उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	लगाई गई जुर्माना राशि (रू. में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	234	49	शून्य	285	शून्य	285	36,91,500
आंध्र प्रदेश	3881	765	147	282	75	121	49,11,500
अरुणाचल प्रदेश	269	09	04	07	शून्य	09	75,500
असम	610	78	04	39	शून्य	06	1,22,000
बिहार	2248	215	28	122	-	-	-
चंडीगढ़	376	25	-	21	-	04	2,25,000
छत्तीसगढ	1564	388	15	81	13	30	1,71,004
दादर और नागर हवेली	67	04	04		-	-	-
दमन और दीव	71	06	02		शून्य	शून्य	-
दिल्ली	1271	120	127	0	39	-	2,68,98,000
गोवा	1268	82	08		07	-	7,05,000
गुजरात	9576	713	27	481	382	382	2,59,82,503
हरियाणा	2067	380	33	303	08	280	31,12,360
हिमाचल प्रदेश	164	50	09	08	05	43	9,81,000
जम्मू और कश्मीर	3643	992	-	921	310	512	54,89,200
झारखंड	580	219	-	-	-	-	-
कर्नाटक	3257	426	53	236	-	236	40,27,270
केरल	3783	703	48	332	88	147	39,89,880

लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य				
मध्य प्रदेश	6270	904	27	547	10	507	2,39,42,000
महाराष्ट्र	9022	1532	194	589	83	141	17,34,500
मणिपुर	830	295	09	19	00	04	2,60,000
मेघालय	29	03	-	-	-	-	-
मिजोरम	84	52	शून्य	शून्य	शून्य	05	शून्य
नगालैंड	310	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ओडिशा	229	54	13	77	शून्य	शून्य	शून्य
पुद्दुचेरी	3,156	-	-	-	-	-	-
पंजाब	11057	3053	40	1022	22	568	46,23,650
राजस्थान	3549	1598	91	171	0	108	7,83,000
सिक्किम	04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	7383	2461	496	825	896	-	2,24,66,700
तेलंगाना	823	175	25	15	01	20	-
त्रिपुरा	268	18	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	19063	8375	102	7232	3237	4219	12,91,85,500
उत्तराखंड	1119	120	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	1228	329	-	-	22	-	1,64,000
कुल	**99,353**	**24,262**	**1,506**	**13,615**	**5,198**	**7,627**	**26,35,41,067**

स्रोत: राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोट: कई राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने समेकित डेटा साझा किया है और विशेष खाद्य श्रेणी जैसे दूध, तेल, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, आदि के संबंध में डेटा / पूरा डेटा साझा नहीं किया है।

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018-19 में विश्लेषित नमूने, गैर अनुपालन वाले नमूने और की गई दंडात्मक कार्रवाई का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण नमूनों की संख्या	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या	शुरू हुए मामलों की संख्या		दोष सिद्धि / जुर्मानों की संख्या		
				आपराधिक	सिविल	दोष सिद्धि	उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	लगाई गई जुर्माना राशि (रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	268	11	1	90	1	89	1274000
2	आंध्र प्रदेश	4715	692	104	456	29	344	10691300
3	अरुणाचल प्रदेश	291	11	1	7	0	6	21000
4	असम	515	111	7	14	0	5	77000
5	बिहार	4135	372	25	146	0	30	1065000
6	चंडीगढ़	315	30	37	21	30	15	335000
7	छत्तीसगढ	988	208	23	27	17	8	995000
8	दादर और नागर हवेली	58	6	0	6	0	6	63000
9	दमन और दीव	145	4	0	4	0	0	0
10	दिल्ली	2461	485	29	110	38	31	4716001
11	गोवा	1550	88	1	9	0	17	866000
12	गुजरात	9884	822	22	353	22	237	19589004
13	हरियाणा	2929	737	47	488	5	242	5116860
14	हिमाचल प्रदेश	229	43	4	10	4	35	965500
15	जम्मू और कश्मीर	3600	1416	10	698	1	466	5718800
16	झारखंड	499	208	10	71	0	22	485000

17	कर्नाटक	3945	456	71	249	0	146	950800
18	केरल	4378	781	102	565	2	339	11117000
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	7063	1369	114	1095	8	557	1,82,28,200
21	महाराष्ट्र	4742	1036	957	910	18	529	11996269
22	मणिपुर	388	56	0	16	0	12	689000
23	मेघालय	81	3	1	0	0	3	193700
24	मिजोरम	124	27	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	202	175	0	63	0	63	37500
26	ओडिशा	327	91	38	123	0	3	220000
27	पुद्दुचेरी	2037	39	0	0	0	7	
28	पंजाब	11920	3961	45	1840	3	1762	15703200
29	राजस्थान	5760	2147		657	141	686	2017000
30	सिक्किम	182	17	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	5730	2601	666	1718	306	1485	50111950
32	तेलंगाना	1760	168	33	191	3	15	248000
33	त्रिपुरा	192	8	0	3	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	22583	11817	451	8524	73	5526	158981003
35	उत्तराखंड	755	35	8	28	0	28	2853000
36	पश्चिम बंगाल	1,708	384	6	58	0	20	453000
कुल		1,06,459	**30415**	**2813**	**18550**	**701**	**12734**	**32,57,78,087**

स्त्रोत:राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

अनुलग्नक- III

वर्ष 2019 -20 में विश्लेषित नमूने, गैर अनुपालन वाले नमूने और की गई दंडात्मक कार्रवाई का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण नमूनों की संख्या	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या	सिविल मामलें			अपराधिक मामलें		
				शुरू हुए मामलों की संख्या (घ.1)	निर्णीत मामलों की संख्या (घ.2)	मांगी गई जुर्माना राशि	शुरू हुए मामलों की संख्या (ड.1)	निर्णीत मामलों की संख्या (ड.2)	मांगी गई जुर्माना राशि (ड.3)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	613		10	8	571000	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4044	458	442	118	10161000	2	10	60000
3	अरुणाचल प्रदेश	346	10	4	5	26000	0	1	30000
4	असम	459	129	53	11	1029000	14	5	80000
5	बिहार	5665	501	147	8	208000	53	0	0
6	चंडीगढ़	384	21	74	11	810000	20	1	0
7	छत्तीसगढ	1550	305	205	190	5562500	56	0	0
8	दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप	232	9	15	6	96000	0	2	52000
9	दिल्ली	2114	374	341	46	2012000	59	60	3250000
10	गोवा	147	6	6	4	210000	1	0	0
11	गुजरात	13160	984	579	368	28695500	16	27	966005
12	हरियाणा	2417	473	372	140	3567061	30	4	10500
13	हिमाचल प्रदेश	675	129	20	104	2709000	6	1	2000
14	जम्मू और कश्मीर	3688	950	1395	817	6451700	35	6	23000
15	झारखंड	1039	397	138	49	1180000	63	13	0
16	कर्नाटक	4551	465	351	211	2004500	80	12	220000
17	केरल	5021	778	359	599	12372500	210	8	245000
18	लद्दाख	6	0	9	9	101300	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	15717	2575	2083	1598	88103000	131	17	1134000
21	महाराष्ट्र	5962	1030	1150	847	23954623	1045	135	122500
22	मणिपुर	92	73	17	18	195000		1	40000
23	मेघालय	133	2	1	1	0	0	0	0
24	मिजोरम	101	61	0	0	0	0	0	0

25	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	702	183	61	97	803600	12	0	0
27	पुद्दुचेरी	5	5	22	20	142000	0	0	
28	पंजाब	7053	1394	1990	893	28763850	106	33	584000
29	राजस्थान	6455	1834	903	174	2694320	75	0	0
30	सिक्किम	18		0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	10528	3155	1779	1390	16712500	857	351	7377500
32	तेलंगाना	1680	135	111	67	311000	14		
33	त्रिपुरा	33	8	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21193	12568	14575	8881	3.35E+08	1787	133	1877800
35	उत्तराखंड	1211	267	142	111	1284000	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1781	310	58	80	1543000	9	1	33000
कुल		**118775**	**29192**	**27412**	**16881**	**5.8E+08**	**4681**	**821**	**2E+07**